(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 795-दो/2006 - विरूद्ध आदेश दिनांक 24-3-2006 - पारित - व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण कमांक 46/2001-03 अपील

1- गजराम सिंह पुत्र स्व0शॅकर सिंह
ग्राम मुडेरी तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर , म0प्र0
2- श्रीमती बाई साव पुत्री शंकर सिंह
पत्नि बाबूलाल ग्राम केनवारा तहसील
मुंगावली जिला अशोकनगर
3- श्रीमती रुकमणीवाई पुत्री शंकर सिंह
पत्नि कैलाशसिंह ग्राम बमूरिया अथाईखेड़ा
तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर ---आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती सगुनावाई पुत्री शॅकर सिंह
पत्नि गजेन्द्रसिंह निवासी ग्राम
मकतनखेड़ी तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश ---अनावेदक

(आवेदकगण की ओर से श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक)
(अनावेदक की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक 2-5-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 46/2001-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-3-2006 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम मूडरा स्थित खाता कमांक 116 पर धारित कुल किता 9 कुल रकबा 9.907 हैक्टर के स्वर्गीय शॅकर सिंह पुत्र धूपसिंह भूमिस्वामी थे, जिनकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 42 पर नायव तहसीलदार मुंगावली ने आदेश दिनांक 7-9-99 से मृतक के पुत्र गजराम सिंह का नामान्तरण किया गया, क्योंकि मृतक की पुत्री वाईसाहव , रूकमणीवाई एंव सगुनवाई ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने हिस्से का त्याग भाई गजराम सिंह के हित में किया था। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 86/01-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-8-2002 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 46/2001-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-3-2006 से अपील स्वीकार कर मृतक के सभी वारिसान का समान भाग पर नामान्तरण करने हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय की ओर प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष स्वर्गीय शॅकर सिंह पुत्र धूपसिंह की पुत्री सगुनवाई ने प्रथम अपील प्रस्तुत की है,

अपील मेमो में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उसे यह बताया गया था कि भूमि तुम्हारे नाम पर लिखी जाना है इस कारण शपथ पत्र दिया जा रहा है और यही समझकर उसने शपथ पत्र दिया है। अपील मेमो पर महिला सगुनावाई का निशानी अँगूठा लगा है अर्थात वह पढ़ी लिखी नहीं है जिसके कारण उसके व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील मेंमो में दिये गये विवरण पर अविश्वास का कोई कारण नहीं नहीं है। विद्वान अपर आयुक्त व्दारा अपीलाधीन आदेश में सही निष्कर्ष निकाला है कि शपथ पत्र के आधार पर स्वत्वों का अंतरण नहीं होता है, जिसके कारण उन्होंने मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नामान्तरण करने हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 46/2001-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-3-2006 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर